

ज अदालत ..... राहापट कलक्टर (20) मुकाम बापु -

..... बनाम रविंद्र कश्यप

किस्म मुकदमा रा. नं. 111, 128 P.L. Ord नं. 242/2022 सन .....

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>30.05.2022</p> <p>22/06/2022</p>	<p>प्रार्थी/बन्दी/अपीलेंट के वकील श्री ..... <u>नरपुन शर्मा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/बन्त/अपील धारा ..... <u>111, 128</u> .....</p> <p>राजस्थान कायदाकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिबन्दी/रेस्पेण्डेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>22/06/2022</u> को पेश हो।</p> <p>प्रार्थी वकील उपर्युक्त विप्रार्थी/बन्दी के नोटिस तामिल वरुडा प्राप्त जिसे तामिल पत्रावली दिनांक 22/06/2022 तामिल अनुपस्थित/न्यायालय सम्पन तलब वरुडा प्राप्त लगाई गई, इतिमय जवाब 5-45 PM पर लगाई गई, विप्रार्थी/बन्दी को या उनकी कोर्ट ले कोई इतिवन्त उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थी/बन्दी के वकील एक्टर/कायदाकारी के तलब के लाई जाते हैं।</p> <p>कल: बालू, कलक्टर पत्रावली दिनांक 22/06/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDC), बापु - बाउमेर</p> <p>सहायक कलक्टर (SDC), बापु - बाउमेर</p>

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित / प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई. प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)

वायतु  
जिला - दाड़मेर

न्यायालय

दि. 27/06/2022

कमाक

प्राथी

राजस्थान-सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाडमेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1128

दिनांक : 27/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. ईमियों देवी पत्नी हीराराम,  
जाति जाट, निवासी रामपुरा खारडा,  
पटवार हल्का गिडा,  
तहसील गिडा (बाडमेर)

1. रविन्द्र पुत्र हिम्मताराम वगैरा 16,  
जातियान् जाट, निवासी रामपुरा खारडा,  
पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान,  
तहसील गिडा (बाडमेर)

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 242 / 2022

### आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - रामपुरा खारडा, पटवार हल्का - गिडा, तहसील - गिडा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 98 रकबा 7.1225 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 1129-33

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का गिडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्रीमति ईमियों देवी पत्नी हीराराम,
4. विप्रार्थी श्री रविन्द्र पुत्र हिम्मताराम वगैरा 16,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 27/06/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला बाडमेर